

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारसीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 749 सन 2019

अनवान :-

1. सुभाष पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वा
दी

बनाम

1. जगदीश पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मोहनी पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सिलोचना उर्फ सुलोचना पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. रेशमा पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
5. विकास पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
6. राजबाला पुत्री कमला पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सुनील पुत्र कमला पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. गिरदावरी पत्नि नन्दराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 10/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 39/40 के प0न0 331/383 (33) के किला न0 4/0.2150 ,5/0.18975 ,6/0.2277 ,7 ,14/0.506 ,15/0.2277 ,प0न0 332/383(34) के किला न0 1/0.2150 ,6/0.2150 ,7/0.253 ,8/0.228 ,8/1 की 0.0250 ,9 ता 14/1.518 ,15/0.2150 ,16/0.2150 ,17 ता 24/2.0240 ,25/0.2150 ,प0न0 333/383(35) के किला न0 9 ता 12 ,19 ता 22/2.024हैव प0न0 332/384(41) के किला न0 1/2 की 0.2277 ,2/2 की 0.2277 ,3/2 की 0.2277 ,4/2 की 0.2277 ,5/2 की 0.2277 ,3/2 की 0.2277 ,4/2 की 0.2277 ,5/2 की 0.2277 ,6 ता 15 की 2.530हैव प0न0 0 मु0न0 73/17 के किला न0 0/0.1265 ,गै0मु0 खाला मु0न0 76/8 के किला न0 0 की 0.2150 ,गै0मु0 रास्ता मु0न0 76/10 के किला न0 0 की 0.0506हैव गै.मु. रास्ता केल 12.5741हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सयुक्त तौर 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज है। तथा रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 40/39 के प0न0 330/385(44) के किला न0 4/2 की 0.227 ,5/2 की 0.2277 ,6 ,7/0.506 ,14, 15/0.506 ,प0न0 0 मु0न0 73/18 के किला न0 0 की 0.0510हैव गै0मु0 खाला कुल 1.5184हैव भूमि जिसमें वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा दर्ज है व रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 38/30 के प0न0 330/384(32) के किला न0 16 ,17 ,24, 25/1.

उप  (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

0120हैक् जिसमें वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नन्दराम पुत्र हरीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नन्दराम पुत्र हरीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनकी पत्नि प्रतिवादी संख्या 8 , पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 ,3 व नन्दराम की मृतक पुत्र वृजलाला के वारिस वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 4 ,5 एवं नन्दराम की मृतक पुत्री कमला के वारिस प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज है वादी के दादा नन्दराम पुत्र हरिराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है प्रतिवादी संख्या 2 ,3 जो वादीगण की बुआ है प्रतिवादी संख्या 1 की बहन तथा प्रतिवादी संख्या 6 ,7 नन्दराम की मृतक पुत्री कमला के वारीस वादीगण की बहने है प्रतिवादी संख्या 8 मृतक नन्दराम की पत्नि व वादीगण की माता दादी है प्रतिवादी संख्या 2, 3 तथा 6, ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 4 ,5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 4 ,5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।


अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 बहिष के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता नन्दराम पुत्र हरीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 तथा 6 ता 8 ,जो वादी की बहन /बुआ /दादी ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। ईकवाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 39/40 की कुल 12.5741हैक् चक 9 केएनएन के खाता संख्या 40/39 की कुल 1.5184हैक् , रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 38/30 की कुल 1.0120हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व वादीगण के नाम से दर्ज है

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नन्दराम पुत्र हरीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नन्दराम पुत्र हरीराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके वारिराम के नाम से दर्ज हुई।


उप अधिकारी (राजस्व)
जोधर (हनुमानगढ़)

वाद भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नन्दराम पुत्र हरीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन रो राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 6 ता 8 वादी की बहने/बुआ/दादी है प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 39/40 की कुल 12.5741 हैक चक 9 केएनएन के खाता संख्या 40/39 की कुल 1.5184 हैक, रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 38/30 की कुल 1.0120 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व वादीगण के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2074 के अनुसार वाद भूमि नन्दराम पुत्र हरीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नन्दराम पुत्र हरीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा नन्दराम पुत्र हरीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 6 ता 8 जो वादी की बहने/बुआ/दादी है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 6 ता 8 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है जिन्होने आपसी सहमति से वाहमी बळवारा भी कर लिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 के नाम उनके वाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्था होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।


उप-महकाधिकारी (राजस्व)
जंहर (हनुमानगढ़)

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साधित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 कोएनएन के खाता संख्या 39/40 की कुल 12.5741हैक चक 9 कोएनएन के खाता संख्या 40/39 की कुल 1.5184हैक , रोही मौजा चक 10 कोएनएन के खाता संख्या 38/30 की कुल 1.0120हैक भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/4 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 .5 तीनों बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनुयुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीय तकमील जाब्दा दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक /0/3/2020 को भरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपसखण्ड अधिकारी (राजस्व)
मौहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुभाष पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वा
दी

बनाम

1. जगदीश पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मोहनी पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सिलोचना उर्फ सुलोचना पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. रेशमा पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
5. विकास पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
6. राजबाला पुत्री कमला पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सुनील पुत्र कमला पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. गिरदावरी पत्नि नन्दराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 749 सन 2019 निर्णय दिनांक- 10/03/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 39/40 की कुल 12.5741 हैक् चक 9 केएनएन के खाता संख्या 40/39 की कुल 1.5184 हैक्, रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 38/30 की कुल 1.0120 हैक् भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/4 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4, 5 तीनों बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सालगन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/3/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)